राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–83 / 2022
मो0 जहरूल इस्लाम बनाम् नियाज अहमद अंसारी।

यह वाद मो0 जहरूल इस्लाम, पिता–मो0 अनारूद्दीन प्रधान, पता–पंचायत शिवनन्दपुर, ग्राम+पोस्ट–मथुरापुर, जिला–कटिहार, बिहार, पिन–855102 द्वारा नियाज अहमद अंसारी, पिता–श्री अब्दुल माजिद अंसारी, ग्राम+पोस्ट–मथुरापुर, थाना–अबादपुर, जिला–कटिहार(वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत शिवनन्दुपर, प्रखण्ड–बारसोई, जिला–कटिहार) के विरुद्व बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए, मुखिया के पद पर निर्वाचित होने के आरोप के आधार पर ग्राम पंचायत राज शिवनन्दुपर, प्रखण्ड–बारसोई, जिला–कटिहार के मुखिया के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी मो0 जहरूल इस्लाम का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री नियाज अहमद अंसारी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता मो0 हेलाल अहमद द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्रीमती रोजी कुमारी एवं श्री योगेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा वादी का पक्ष रखते हुए बताया गया कि प्रतिवादी श्री नियाज अहमद अंसारी उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिला की मूल निवासी हैं। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिला से आकर बिहार राज्य में बस गये। बिहार राज्य के आरक्षण नीति के तहत आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही प्राप्त है। अतः प्रतिवादी के द्वारा गलत ढ़ंग से जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया गया। अतः उन्हें अविलम्ब पदमुक्त किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी के लिखित जवाब का उत्तर देते हुए, वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के खतियान में उनकी जाति **"मुसलमान"** अंकित है, जबकि पूर्व में इनके द्वारा जाँच के दौरान अपना खतियान नहीं होने के बात बताई गई थी। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वास्तव में **"मुसलमान"** कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि यह इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक सामूहिक शब्द है, जिससे उनके धार्मिक आस्था का पता चलता है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी जाति खतियान में अंकित नहीं है, अथवा जिनकी जाति राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण हेतु जातियों के अनुसूची में शामिल नहीं है, उन्हें सामान्य जाति में शामिल किए जाने का प्रावधान है। उनके द्वारा इस संबंध में सरकार द्वारा जारी परिपत्र का हवाला दिया गया कि यदि खतियान या भू–अभिलेख में जाति अंकित नहीं

है, तो ऐसे व्यक्ति को सामान्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। अंततः उनके द्वारा मामले को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) को संदर्भित करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनकी मुवक्किल को जान–बूझकर परेशान किया जा रहा है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका जाति प्रमाण–पत्र बिल्कुल सही है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा प्रतिवादी के पिता–श्री जैनूल आबेदिन अनसारी के मैट्रिक के प्रमाण–पत्र का अवलोकन कराया गया तथा आयोग को बताया गया कि वर्ष–1963 में उनके पिता की जाति **''अनसारी''** अंकित है, हालाँकि उक्त प्रमाण–पत्र में **''अनसारी''** उपनाम के रूप में अंकित है, न कि जाति के रूप में। आगे उनके द्वारा वर्ष–2016 में नियाज अहमद अनसारी, अर्थात् प्रतिवादी के निर्वाचन प्रमाण–पत्र का अवलोकन कराया गया, जिसमें इन्हें पिछड़ा वर्ग (अन्य) हेतु आरक्षित मुखिया पद के विरूद्ध निर्वाचित घोषित किया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वर्ष–2016 में किसी प्रकार की कोई आपत्ति वादी द्वारा नहीं की गई, जबकि इसी आरक्षण कोटि के विरूद्ध निर्वाचन उस समय भी हुआ था। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का पहला दावा था कि प्रतिवादी बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है। अब जबकि साक्ष्य क रूप में खतियान उपलब्ध हो गया है, तो वादी बिना किसी साक्ष्य के नए आरोप लगा रहे है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनकी प्रार्थना दोनों बिन्दुओं पर है। वे प्रतिवादी के मूल निवासी होने एवं अनुसूची–01 में शामिल होने, दोनों को चुनौती दी गई है। अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा आयोग को अपनी प्रार्थना के अंशों का वाचन किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः अपने आरोपों के दुहराया गया तथा आयोग को यह बताया गया कि खतियान होने के बावजूद प्रतिवादी द्वारा जान–बूझकर इसे छिपाया जा रहा है, ताकि गलत जाति प्रमाण–पत्र बनवाया जा सकें एवं इसका लाभ उठाया जा सकें। पूर्व में कि गई गलतियों के आधार पर प्राप्त लाभ हेतु इसका दावा नहीं किया जा सकता, जबकि प्रतिवादी द्वारा स्वीकार्य तथ्य एवं साक्ष्य उनके खतियान उपलब्ध हो चुका है।

5. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत खतियान में जाति **''मुसलमान''** अंकित रहने के कारण, (जो कि वास्तव में धर्म का परिचायक शब्दावली है)। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–673, दिनांक–08.03.2011 के अनुसार खतियान में अंकित जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य है तथा इसी के आधार पर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करना है। चूँकि प्रतिवादी के खतियान में उनकी जाति **''मुसलमान''** अंकित पाया गया तथा प्रतिवादी द्वारा इसके अतिरिक्त कोई अन्य निर्विवाद अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वे अत्यन्त पिछड़ी जाति वर्ग के सदस्य है। अतः वाद के निस्तारण हेतु प्रतिवादी के जाति के विनिश्चय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विवाद के स्थिति में जाति निर्धारण हेतु Apex Facts Finding Body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को मामले को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

6. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा संदर्भित मामले में अपना प्रतिवेदन ज्ञापांक–11/आ0जा0–08/2024 सा0प्र0–13445, पटना–15, दिनांक–22.07.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसका निर्णायक अंश पारा–09 एवं 11 में अंकित है, जो निम्नवत् हैः–

''09. दिनांक–23.06.2025 को अपराह्न 04:15 बजे सामान्य समिति की आहूत बैठक में श्री नियाज अहमद एवं उनके प्रतिनिधि के रूप में मो0 हेलाल अहमद विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि इनकी जाति एवं जाति प्रमाण–पत्र संख्या–टी0सी0/15/00169, दिनांक–27.01.2015 में पुलिस अधीक्षक को कोई अनियमितता नही मिली है तथा सी0आई0डी0 का प्रतिवेदन उनके पक्ष में है। साथ ही इनका एवं इनकी पत्नी आसना खातून की जाति राजस्व कर्मचारी पंचायत शिवनन्दपुर, बारसोई के जाँच के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा ''मोमिन'' बताई गई है। वादी के पास कोई सबूत नहीं है कि नियाज अहमद ''अंसारी/मोमिन'' जाति से संबंधित नहीं है।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन यथा स्थलीय जाँच, अभिलेखीय जाँच तथा श्री नियाज अहमद द्वारा समर्पित किये गये, बचाव बयान में तथ्यों का परिशीलन किया गया तथा समिति द्वारा यह पाया गया कि श्री नियाज अहमद, पिता–श्री अब्दुल अंसारी, ग्राम मथुरापुर, थाना–अबादपुर, जिला–कटिहार के दादा मो0 हसन अंसारी, ग्राम गायघाट, कसवा रेवती, जिला–बलिया, उत्तरप्रदेश से आकर बसे है। इस वाद की पुष्टि अपराध अनुसंधान विभाग के जाँच प्रतिवेदन में भी अंकित है। जहाँ तक नियाज अहमद द्वारा मोमिन(मुस्लिम) जाति (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ लिये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–70, दिनांक–11.06.1996 द्वारा नीतिगत निर्णय संसूचित किया जा चुका है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों की मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार के मूल निवासी हैं।

राज्य के उक्त आरक्षण नीति बिहार अधिनियम–15/2003 द्वारा दिनांक–11.06.1996 के प्रभाव से निम्न रूपेण प्रावधानित किया गया हैः–

''परन्तु और कि इस बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेगें।''

चूंकि श्री नियाज अहमद बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है, अतः बिहार राज्य के लिये श्री अहमद के आरक्षण संबंधी दावा मान्य नहीं होगा।

''11. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तथ्यों एवं निष्कर्षों से असहमत होने का कोई युक्ति संगत अवसर प्रतीत नहीं होता है और तदनुसार सामान्य समिति के सभी सदस्यों के द्वारा जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सभी

तथ्यों/साक्ष्यों एवं प्रस्तुत बचाव–बयान के तर्कों एवं साक्ष्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत मतैक्य के आधार पर श्री नियम अहमद, पिता–श्री अब्दुल अंसारी, ग्राम–मथुरापुर, थाना–आबादपुर, जिला–कटिहार द्वारा किए जा रहे मोमिन(मुस्लिम)(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ लिए जाने के दावे को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है।''

7. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत दोनों पक्षों को इसकी प्रति हस्तगत कराते हुए, इस पर अपना–अपना पक्ष रखने का अवसर दोनों पक्षकारों को दिया गया, जिसका सार निम्नवत् हैः–

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके दावें के समर्थन में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है, जिसमें प्रमाण–पत्रों की वैधता की जाँच करने वाली राज्य की Apex Fact Finding Body अर्थात् राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा प्रतिवादी के बिहार में आरक्षण के लाभ को सर्व–सम्मति खारिज कर दिया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का प्रतिवेदन Unimpeachable साक्ष्य की श्रेणी में आता हैं, अतः प्रतिवादी को अविलम्ब पदमुक्त किया जाना चाहिए।

आगे उनके द्वारा इस तथ्य के तरफ भी ध्यानाकृष्ट किया गया कि प्रतिवादी प्रक्रियागत् कार्रवाई में लगने वाले समय का काफी अधिक लाभ प्राप्त कर चुके है तथा 05 साल के मुखिया पद के कार्यकाल में से लगभग 04 साल तक गलत ढ़ंग से पदासीन रहे हैं। अतः इन्हें अविलम्ब हटाया जाना उचित है तथा मिथ्या शपथ–पत्र हेतु इनपर नियमानुसार धारा–125A के तहत कार्रवाई भी किया जाना अनिवार्य है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गई है। उनके द्वारा उक्त 'रिट' के निष्पादन तक सुनवाई को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के दादा 100 वर्ष पूर्व से भी अधिक समय से बिहार राज्य में आवासित हैं। कोई व्यक्ति पूर्णरूपेण 100 वर्षों से भी अधिक समय से बिहार राज्य का निवासी है, तो उसे कैसे मूल निवासी के रूप में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल जन्म से लेकर आजतक अपने परिवार के साथ मूल रूप से बिहार राज्य में ही निवास करते है। उनकी शिक्षा–दीक्षा बिहार राज्य में ही हुई है तथा उनके सभी नातेदार बिहार राज्य में ही है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा पूर्व में दिखाए गए सभी अभिलेखों का पुनरावलोकन आयोग को कराया गया। अन्त में पुनः अनुरोध किया गया कि उनके 'रिट' के निष्पादन तक प्रतीक्षा की जाए।

8. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) का निर्णय तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री नियाज अहमद अंसारी(वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत शिवनन्दुपर, प्रखण्ड–बारसोई, जिला–कटिहार) द्वारा सामान्य श्रेणी(अनारक्षित वर्ग, बिहार राज्य का मूल निवासी नहीं होने के कारण) का सदस्य होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग अनुसूची–01 हेतु आरक्षित मुखिया के पद पर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा–135 का उल्लंघन कर वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत शिवनन्दुपर, प्रखण्ड–बारसोई, जिला–कटिहार, के मुखिया के पद पर निर्वाचित होने से संबंधित है, जबकि आरक्षण का लाभ केवल राज्य के मूल निवासियों को ही प्राप्त है।"

विचाराधीन वाद में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है, जिसके अनुसार मो0 नियाज अहमद अंसारी के संबंध में **सम्यक् विचारोपरांत मतैक्य के आधार पर श्री नियाज अहमद अंसारी, पिता–श्री अब्दुल अंसारी, ग्राम–मथुरापुर, थाना–आबादपुर, जिला–कटिहार द्वारा किए जा रहे मोमिन(मुस्लिम)(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ लिए जाने के दावें को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया है।"**

रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एवं अन्य (L.P.A. No. 566/2017) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिनांक–17.09.2019 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में ऐसे मामलो में जाति निर्धारण हेतु Apex Fact Finding body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) के निर्णय के आलोक में ही आयोग को वाद का निस्तारण करना है। अतः आयोग वादी के तर्कों से सहमत है कि जाति के मामले में राज्य के Apex Fact Finding body का निर्णय प्राप्त है। अतः आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवादी को पदमुक्त किया जाए।

उल्लेखनीय है कि रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग वाद में पूर्णपीठ द्वारा आयोग के समक्ष आने वाले मामलो को साक्ष्यों के आधार पर दो खण्डों में विभक्त किया गया है:– प्रथमतः वैसे मामले हैं, जो Unimpeachable साक्ष्यों पर आधारित हो, तो ऐसे मामलो के त्वरित निष्पादन या निर्णय पर कोई पाबंदी नहीं है। द्वितीयतः वैसे मामले है, जो Disputed Fact(Impeachable) पर आधारित हो, तो ऐसे मामलो में आयोग सक्षम न्यायालय/प्राधिकार/Fact Finding body के निर्णय/प्रतिवेदन के उपरांत कार्रवाई करेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि दूसरे प्रकार के मामलो में आयोग स्तर से कार्रवाई पर रोक सक्षम न्यायालय/प्राधिकार/Fact Finding body के निर्णय/प्रतिवेदन प्राप्त होने तक ही है। संगत अंश का पाठ निम्नरूपेण है:–

"Whenever a disputed question of facts and a contentious issue is brought before the Commission as a ground and basis to render a candidate disqualified, the Commission would be required to relegate the parties to a competent court/tribunal or a fact finding body competent to decide such contentious issues after taking evidences and till such time the Commission shall not take a decision on such complaint either suo-moto or otherwise." (पेज–217 पारा–01) यहाँ till such time निर्णायक निदर्श बिन्दु (Index Point) है।

अतः पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(2) के प्रावधानों के तहत निष्पादन अपरिहार्य है।

यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन को चुनौती दी गई है, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के उक्त 'रिट' याचिका पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश अथवा अग्रेत्तर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाया गया। अतएव, जबकि विचाराधीन वाद में Unimpeachable साक्ष्य प्राप्त हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने देना जो कि अनाधिकृत रूप से लगभग 04 वर्षों से पदासीन है, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। यह सर्वविदित है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रतिवादी के 'रिट' याचिका की सुनवाई के क्रम में कोई आदेश/निर्णय पारित किया जाता है, तो वह स्वतः प्रभावी होगा।

यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि प्रतिवादी के द्वारा जो अनुरोध आयोग से किया जा रहा है, लगभग ये सभी अनुरोध उनके द्वारा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) से भी किया गया था, परन्तु कमिटि द्वारा समग्र रूप से सम्यक विचारोपरांत निर्णय दिया गया है। इन्हीं कारणों से प्रतिवादी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री नियाज अहमद अंसारी बिहार राज्य की मूल निवासी नहीं है। अतः इन्हें सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों/पत्रों के प्रावधानों के विपरीत निर्गत अवैध जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं था। इसके बावजूद इन्होंने मुखिया, ग्राम पंचायत शिवनन्दुपर, प्रखण्ड–बारसोई, जिला–कटिहार के पद हेतु निर्वाचन में भाग लिया, जबकि उक्त पद जबकि पिछड़ा वर्ग अनुसूची–01 में शामिल बिहार राज्य के मूल निवासियों हेतु आरक्षित था। इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 के परन्तुक के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद उक्त पद (मुखिया) पर निर्वाचन नियमाकूल नहीं है। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री नियाज अहमद अंसारी को तत्काल प्रभाव से मुखिया, ग्राम पंचायत शिवनन्दुपर, प्रखण्ड–बारसोई, जिला–कटिहार के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही मुखिया, ग्राम पंचायत शिवनन्दुपर, प्रखण्ड–बारसोचई, जिला–कटिहार का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमाचनुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी, बारसोई एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी, श्री नियाज अहमद अंसारी को अवैध/गलत जाति प्रमाण–पत्र

निर्गत करने हेतु दोषी हैं। साथ ही साथ श्री नियाज अहमद अंसारी द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, कटिहार से यह अपेक्षित है कि दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई हेतु प्रपत्र–''क'' का गठन कर साक्ष्य सहित इनके पैतृक विभाग/अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित किया जायेगा तथा इसकी प्रति आयोग को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही दोषी मुखिया के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) की धारा–125A(3) के उल्लंघन, अर्थात् गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्रवाई वांछनीय है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
17.10.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
17.10.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–83/2022 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–83/2022 4069 पटना, दिनांक–17.10.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **कटिहार**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **कटिहार** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **कटिहार** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

17/X/25
विशेष कार्य पदाधिकारी